105 3

565
20.9.13

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल उप खण्ड रीवा जिला रीवा म.प्र.

रामचन्द्र कुम्हार तथ सुखदेव कुम्हार उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम दुधमनिया तहसील देवसर वर्तमान तहसील सरई जिला सिंगरौली म.प्र. ---------- निगरानीकर्ता

R-4368-III/13

बनाम.

हीरा सिंह वगै. ---------- गैर निगरानीकर्ता

अधि० श्री उमेश कुमार पटेल,
द्वारा प्रस्तुत।
रीवा, दि. 20.9.13

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त जिला रीवा का प्रकरण क्रमांक 1586 / अपील 11-12 आदेश दिनांक - 2.09.13

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू. रा. संहिता 1959 ई.।

मान्यवर,

2-12-17

आवेदन के आधार निम्न है :-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भूमि स्वामी आवेदक को वर्ष 1984 के अनुसार व्यवस्थापन के आराजी पर पट्टा प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्राप्त किया था आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र में 2-10 /1984-85 से 1987 तक खसरे की नकल ना प्राप्त होने से नही पेश की गयी थी तथा विवादित जमीन में नाला पटवारी द्वारा उल्लेख कर दिया था खसरे में लेकिन मौके पर नाला नही था कृषि योग्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 4368–तीन/2013 जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 1580/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 2–9–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रश्नाधीन आदेश में अपर आयुक्त ने उनके समक्ष अपील को संहिता में संशोन के बाद प्रस्तुत की जाना तथा निगरानी के विरूद्ध अपील नहीं किये जाने संबंधी निष्कर्ष निकाला है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि निगरानी के विरूद्ध अपील वर्जित है। इसलिए अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिअनुकूल प्रकट होता है जिसमें हस्तक्षेप इस निगरानी में नहीं किया जा सकता है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगराधीन आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	